तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मदन बनाम सरकार** मु0नं0 27/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2017 के विरूद्ध हस्तगस्त अपील पेश की गई है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2017 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश नही की गई है। वकील अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2017 की प्रमाणित प्रति पेश करने हेतु दिनांक 31.07.2019 से समय चाहा जा रहा है परन्तु आज दिनांक तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2017 की प्रमाणित प्रति पेश नही की गई है जिससे हस्तगस्त अपील अपूर्ण होने से न्यायालय हाजा के स्तर पर पोषणीय नही है एवं अपील पर आगामी कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी की अपील अपूर्ण होने से इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। 20/10/2021 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner

2019/00079

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ज...

अपील संख्या 27/2019

अपील अधीन धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

सीकर

दिनां 20/6/2019

मदन पुत्र श्री सुखा जाति जाट आयु ......वर्ष निवासी ग्राम रोयल तहसील खण्डेला जिला सीकर(राजस्थान)।

————अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार** जरीये तहसीलदार खण्डेला तहसील कार्यालय खण्डेला जिला सीकर(राजस्थान)।
2. **उपखण्ड अधिकारी** खण्डेला पता कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तहसील खण्डेला जिला सीकर(राजस्थान)।

—————विपक्षीगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खण्डेला दिनांक 17–04–2017 प्रकरण संख्या राजस्व/2017/ प0म0–रोयल–06. जिसके द्वारा न्यायालय ने तथाकथित प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी की काश्त की भूमि में नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया।

श्रीमानजी,

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये गलत एवं निराधार रिपोर्ट करते हुए ग्राम रोयल में जाने के लिए तथाकथित पुरातन रास्ता होने का कथन करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। प्रस्ताव के साथ फर्द मौका भी संलग्न किया गया। जिसके तहत प्रार्थी की भूमि खसरा

महोदय,
अपील
(1) पूर्व कोई अपील पर है
(2) समक्ष अदालत है
(3) मियाद बाहर है
...पेश है
(4) अपीलीय निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नहीं है ... अपूर्ण है
(5) ... नहीं है

Scanned by CamScanner